

शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
स्वशासी प्रकोष्ठ

क्रमांक ८८१ / स्वा / 25

रायपुर, दिनांक 26/6/25

—:: सूचना ::—

पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना
वार्षिक परीक्षा — 2025

(बी. कॉम./बी.एससी./बी.ए. भाग-तीन)

आवेदन पत्र दिनांक 02/06/2025 से प्राप्त करे

जमा करने की अंतिम तिथि 10/06/2025

स्वशासी विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । इस हेतु नियमावली निम्नानुसार है :-

पुनर्मूल्यांकन हेतु पात्रता ::-

1. बी. कॉम./बी.एससी./बी.ए. भाग तीन के सभी नियमित एवं भूतपूर्व परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।
2. उत्तीर्ण, पूरक प्राप्त परीक्षार्थी और दो विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी अधिकतम दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते है । परंतु दो विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण विषयों के एक-एक उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. तीन या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन के पात्र नहीं है। यदि ऐसे परीक्षार्थी आवेदन करते है तो बाद में उनका आवेदन शुल्क वापस करना संभव नहीं होगा।

पुनर्गणना हेतु पात्रता

1. तीन या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी केवल पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकते है।
2. परीक्षा में उत्तीर्ण/पूरक विद्यार्थी भी पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते है ।
3. Supersupply विद्यार्थी केवल पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकते है।

पुनर्मूल्यांकन /पुनर्गणना हेतु शुल्क का विवरण

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. आवेदन पत्र शुल्क | 50=00 रु. |
| 2. पुनर्मूल्यांकन शुल्क रु | 250=00 प्रति उत्तर पुस्तिका |
| 3. पुनर्गणना शुल्क | 50=00 प्रति उत्तर पुस्तिका |

नोट :-

1. पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र शुल्क विभाग से प्राप्त करें। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की छाया प्रति संलग्न कर स्वशासी विभाग से जाँच करा ले उसके पश्चात शुल्क महाविद्यालय कार्यालय में जमा करें।
2. पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अध्यादेश क्रमांक 5 कण्डिका 2 के अनुसार :-
यदि किसी परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन में पूर्व प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त होते है तो परीक्षा परिणाम की गणना पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक के आधार पर किया जायेगा।
3. पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना के लिए निर्धारित नियमों से परे यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन करता है तो न तो आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा और आवेदन को शून्य मानते हुए आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

परिष्कारक
Govt. J. Y. Chhattisgarh College
RAIPUR. (C.G.)

02.6.2025
प्रचार्य
Govt. J. Y. Chhattisgarh College
RAIPUR. (C.G.)